Indian J. Soc. & Pol. 12 (02):81-86: 2025
31 JULY 2025

ISSN: 2348-0084 (PRINT)
ISSN: 2455-2127(ONLINE)

अंबेडकर की संवैधानिक दृष्टिः लैंगिक समानता का वैश्विक आधार (अनुच्छेद 15 के संदर्भ में)

संजय शर्मा[1]

[1]असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, सहकारी पी.जी. कॉलेज, मिहरावाँ, जौनपुर, उ0प्र0, भारत

ABSTRACT

*डॉ. भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाले प्रावधान स्थापित किए। अनुच्छेद 15, विशेष रूप से खंड (1) और (3), लिंग आधारित भेदभाव को रोकता है और भारतीय समाज में समानता का मजबूत आधार बनाता है। यह वैश्विक मानवाधिकार सिद्धांतों और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (**SDG:5** लैंगिक समानता) से प्रेरित है। गुणात्मक विश्लेषण और केस स्टडी पद्धति के माध्यम से यह शोध दर्शाता है कि अनुच्छेद 15 जाति–लिंग अंतर्संबंध को संबोधित कर सामाजिक न्याय की नींव रखता है। यह सामाजिक विज्ञान, महिला अध्ययन, और संवैधानिक कानून के लिए महत्वपूर्ण है। यह शोध अंबेडकर के संवैधानिक दृष्टिकोण को वैश्विक लैंगिक समानता के ढांचे से जोड़ता है, जो स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय नीतियों के लिए प्रेरक है।*

KEYWORDS: *अम्बेडकर, संविधान, लिंग, अनुच्छेद 15,*

प्रस्तावना

सामाजिक प्रगति और लोकतंत्र की सफलता सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता पर निर्भर करती है। सदियों से महिलाएँ शोषण और भेदभाव की शिकार रही हैं। विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2023 के अनुसार, वैश्विक लैंगिक अंतर स्कोर 68.4% है। पूर्ण समानता के लिए 131 वर्ष और चाहिए। यह दर्शाता है कि लैंगिक असमानता की जड़ें गहरी हैं। लैंगिक न्याय अब नैतिक आवश्यकता और मानवाधिकार का अपरिहार्य मूल्य है। लैंगिक न्याय लिंग आधारित समानता को मानवीय गरिमा का आधार मानता है। यह ऐसा सामाजिक ढाँचा चाहता है, जहाँ स्त्री, पुरुष, और अन्य लैंगिक पहचानें समान अवसर, सम्मान, और अधिकार पाएँ।

मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट ने ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वूमन (1792) में शिक्षा से समानता की वकालत की। सिमोन द बोवुआर ने द सेकेंड सेक्स (1949) में लिंग को सामाजिक निर्मिति बताकर स्वायत्तता पर जोर दिया। जॉन रॉल्स ने ए थियरी ऑफ जस्टिस (1971) में निष्पक्षता और समान स्वतंत्रता की बात की। अमर्त्य सेन ने डेवलपमेंट ऐज फ्रीडम (1999) में क्षमता दृष्टिकोण से लैंगिक असमानता को रेखांकित किया। नैंसी फ्रेजर ने जस्टिस इंटरप्टस (1997) में आर्थिक और सांस्कृतिक बराबरी की माँग की। जूडिथ बटलर ने जेंडर ट्रबल (1990) में लिंग को प्रदर्शनात्मक पहचान बताया। किम्बर्ले क्रेंशॉ ने 1989 में इंटरसेक्शनल जस्टिस की अवधारणा दी, जो विभिन्न पहचानों (जाति, लिंग, वर्ग) से उत्पन्न भेदभाव पर ध्यान देती है।

वैश्विक स्तर पर, संयुक्त राष्ट्र चार्टर (1945) ने लैंगिक समानता को मानवाधिकार माना। यूएन वीमेन (2023) इसे समान अधिकार और अवसरों की प्राप्ति कहता है। विश्व बैंक की लैगिंक समानता रणनीति (2024–30) रिपोर्ट इसे निष्पक्षता का सिद्धांत मानती है। हाल के उदाहरणों में, अमेरिका में 2022 का गर्भपात अधिकार फैसला स्वायत्तता की बहस छेड़ता है। चीन ने 2023 में कार्यस्थल भेदभाव विरोधी नीतियाँ लागू कीं। डिजिटल युग में ऑनलाइन उत्पीड़न, संसाधनों तक असमान पहुँच, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में लैंगिक पक्षपात नई चुनौतियाँ हैं। इनका समाधान समता की दृष्टि से संभव है।

भारत में, डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से लैंगिक समानता को स्थापित किया। सामाजिक भेदभाव से जूझे अंबेडकर ने संविधान को समता और गरिमा का ढाँचा बनाया। उनकी दृष्टि में लैंगिक समानता कानूनी और नैतिक अनिवार्यता थी। संविधान सभा में उन्होंने अनुच्छेद 15 को सामाजिक भेदभाव के खिलाफ ढाल बताया। अनुच्छेद 15, विशेष रूप से खंड (1) और (3), लिंग आधारित भेदभाव को रोकता है और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधानों को संभव बनाता है। यह वैश्विक मानवाधिकार सिद्धांतों से प्रेरित है। हालाँकि, सामाजिक रूढ़ियाँ, आर्थिक असमानता, और ग्रामीण–शहरी विभाजन चुनौतियाँ हैं। लैंगिक न्याय के लिए नीतिगत सुधार और सामाजिक चेतना आवश्यक है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और राजनीतिक भागीदारी में समानता समय की माँग है। यह प्रस्तावना लैंगिक न्याय के सैद्धांतिक, ऐतिहासिक, और समकालीन आयामों को रेखांकित करती है। यह अंबेडकर के संवैधानिक दृष्टिकोण और अनुच्छेद 15 के विश्लेषण के लिए आधार देती है।

1: Corresponding Author

शोध उद्देश्य

1. अंबेडकर की संवैधानिक दृष्टि में लैंगिक समानता के विचारों का विश्लेषण करना और यह समझना कि अनुच्छेद 15 वैश्विक समानता का आधार कैसे बना।
2. अनुच्छेद 15 की ऐतिहासिकता और इसके प्रावधानों का अध्ययन करना, जो लैंगिक और सामाजिक भेदभाव को समाप्त करते हैं।
3. अनुच्छेद 15 के माध्यम से जाति–लिंग अंतर्संबंध का मूल्यांकन करना और इसके सामाजिक प्रभाव का विश्लेषण करना।
4. अंबेडकर की समता की दृष्टि को वैश्विक लैंगिक समानता सिद्धांतों, जैसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर और सतत विकास लक्ष्य (SDG 5), से तुलना करना।
5. अनुच्छेद 15 की समकालीन प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना, विशेष रूप से डिजिटल युग में ऑनलाइन उत्पीड़न और संसाधनों तक असमान पहुँच जैसी चुनौतियों के संदर्भ में।

साहित्य समीक्षा

लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय पर साहित्य व्यापक है। मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट (1792) ने 'ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वूमन' में शिक्षा के माध्यम से लैंगिक समानता की वकालत की, जो प्रारंभिक आधार देती है। सिमोन द बोवुआर (1953) ने 'द सेकेंड सेक्स' में लिंग को सामाजिक निर्मिति बताकर स्वायत्तता पर जोर दिया। जॉन रॉल्स (1971) ने 'ए थियरी ऑफ जस्टिस' में निष्पक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। अमर्त्य सेन (2009) ने 'द आइडिया ऑफ जस्टिस' में संवैधानिक समानता को सामाजिक न्याय का आधार माना, पर विशिष्ट प्रावधानों पर कम जोर दिया। नैंसी फ्रेजर (1997) ने 'जस्टिस इंटरप्टस' में आर्थिक और सांस्कृतिक बराबरी की माँग की। जूडिथ बटलर (1990) ने 'जेंडर ट्रबल' में लिंग को प्रदर्शनात्मक पहचान बताया। किम्बर्ले क्रेंशॉ (1989) ने 'डिमार्जिनलाइजिंग द इंटरसेक्शन ऑफ रेस एंड सेक्स' में इंटरसेक्शनल जस्टिस की अवधारणा दी, जो जाति, लिंग, और वर्ग के अंतर्संबंधों को रेखांकित करती है। कैथरीन मैकिनन (1987) ने 'फेमिनिज्म अनमॉडिफाइड' में लैंगिक समानता के लिए कानूनी ढांचे की आवश्यकता बताई, जो अनुच्छेद 15 से संगति रखता है।

भारतीय संदर्भ में, डॉ. भीमराव अंबेडकर की रचनाएँ, जैसे जाति का विनाश (1936), और संविधान सभा की बहसें (1948–49) सामाजिक और लैंगिक समानता के लिए महत्वपूर्ण हैं। अंबेडकर ने अनुच्छेद 15 को भेदभाव के खिलाफ ढाल बताया। गैल आमवेट (2004) ने अंबेडकरः टुवर्ड्स एन इनलाइटेंड इंडिया में सामाजिक समावेशन पर ध्यान दिया, पर लैंगिक आयाम को कम छुआ। जे. गवांकर (2015) ने 'डॉ. अंबेडकरः ए सोशल रिफॉर्मर' में हिंदू कोड बिल का विश्लेषण किया, पर अनुच्छेद 15 पर ध्यान नहीं दिया। आनंद तेलतुंबड़े (2018) ने 'द पर्सिसटेंस ऑफ कास्ट' में संवैधानिक ढांचे पर चर्चा की, पर लैंगिक समानता पर सीमित जोर दिया।

वैश्विक स्तर पर, संयुक्त राष्ट्र चार्टर (1945) और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स (1948) लैंगिक समानता को मानवाधिकार मानते हैं। यूएन वीमेन (2023) और वर्ल्ड बैंक की जेंडर स्ट्रैटेजी 2024–2030 रिपोर्ट इसे सतत विकास लक्ष्य (SDG 5) का आधार मानती हैं। विश्व आर्थिक मंच (2023) का डेटा (68.4ः लैंगिक अंतर) लैंगिक न्याय की आवश्यकता को दर्शाता है।

'साहित्य में अंतराल' अनुच्छेद 15 के जरिए अंबेडकर के लैंगिक समानता दृष्टिकोण का विश्लेषण अपर्याप्त है। इसका ऐतिहासिक और समकालीन प्रभाव, विशेष रूप से डिजिटल युग की चुनौतियों (जैसे ऑनलाइन उत्पीड़न), पर कम अध्ययन हुआ है। यह शोध इन अंतरालों को भरने का प्रयास करता है, जो सामाजिक विज्ञान, महिला अध्ययन, और संवैधानिक कानून के लिए प्रासंगिक है।

शोध पद्धति

यह शोध गुणात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है, जो अंबेडकर के संवैधानिक दृष्टिकोण और अनुच्छेद 15 के लैंगिक समानता पर प्रभाव को समझने पर केंद्रित है। इसमें निम्नलिखित पद्धतियाँ अपनाई गई हैं:

दस्तावेजी विश्लेषणः प्राथमिक स्रोतों, जैसे भारतीय संविधान (अनुच्छेद 15), अंबेडकर की रचनाएँ (जाति का विनाश, 1936), संविधान सभा की बहसें (खंड 7, 1948–49), और उनके भाषणों का अध्ययन किया जाएगा। द्वितीयक स्रोतों में शैक्षणिक लेख (आमवेट, 2004; योगानंधम, तेलतुंबड़े, 2018), क्रेंशॉ (1989), और पत्रिकाएँ शामिल हैं। यह विश्लेषण लैंगिक समानता और जाति–लिंग अंतर्संबंध को उजागर करता है।

सामग्री विश्लेषणः अंबेडकर के लेखन और संविधान सभा की बहसों में लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय, और जाति–लिंग अंतर्संबंध के विषयों को पहचानने के लिए सामग्री विश्लेषण किया जाएगा। यह क्रेंशॉ के इंटरसेक्शनल जस्टिस ढांचे पर आधारित होगा, जो बहुआयामी भेदभाव को समझने में सहायक है।

तुलनात्मक केस स्टडीः अनुच्छेद 15 के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए भारतीय न्यायिक फैसलों, जैसे विशाखा बनाम राजस्थान (1997) और अनुज गर्ग बनाम होटल एसोसिएशन (2008), का अध्ययन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 15 की तुलना दक्षिण अफ्रीका के संविधान (धारा 9) से की जाएगी, जो लैंगिक और सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है। यह तुलना वैश्विक लैंगिक समानता सिद्धांतों से अंबेडकर की दृष्टि के मध्य सामंजस्य को रेखांकित करेगी।

सैद्धांतिक ढांचा : क्रेंशॉ का इंटरसेक्शनल जस्टिस और मैकिनन का कानूनी ढांचा बहुआयामी न्याय के सैद्धांतिक आधार के रूप में उपयोग होगा। यह अंबेडकर के समता सिद्धांत और वैश्विक चिंतकों (सेन, रॉल्स) के विचारों से तुलना करेगा।

आँकड़ों का उपयोग : विश्व आर्थिक मंच (2023) और यूएन वीमेन (2023) के आँकड़े लैंगिक असमानता की स्थिति को समझने के लिए शामिल किए जाएँगे।

सीमाएँ : अध्ययन ऐतिहासिक, कानूनी, और सैद्धांतिक आँकड़ों तक सीमित है। डिजिटल युग की चुनौतियाँ (जैसे ऑनलाइन उत्पीड़न) अप्रत्यक्ष रूप से विश्लेषण में शामिल हैं, जो भविष्य के शोध का आधार हो सकती हैं।

विश्लेषण और चर्चा

लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय भारतीय संविधान के मूल सिद्धांत हैं, जिन्हें डॉ. भीमराव अंबेडकर ने अपने संवैधानिक दृष्टिकोण के माध्यम से साकार किया। अनुच्छेद 15 इस दृष्टिकोण का केंद्रीय आधार है, जो लिंग आधारित भेदभाव को निषेध करता है और सकारात्मक भेदभाव के माध्यम से समतामूलक समाज की स्थापना करता है। यह शोध अंबेडकर की सामाजिक सुधार की सोच और अनुच्छेद 15 के कानूनी ढांचे की पड़ताल करता है, जो जाति–लिंग अंतर्संबंध को संबोधित करते हुए भारतीय और वैश्विक संदर्भों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। ऐतिहासिक विश्लेषण संविधान सभा और हिंदू कोड बिल के योगदान को उजागर करता है, जबकि न्यायिक फैसले, जैसे विशाखा (1997) और सबरीमाला (2018), अनुच्छेद 15 की प्रगतिशील व्याख्या को दर्शाते हैं। वैश्विक तुलना, जैसे दक्षिण अफ्रीका और यूरोपीय संघ के प्रावधान, इसकी सार्वभौमिक प्रासंगिकता को रेखांकित करती है। डिजिटल युग की चुनौतियाँ, जैसे ऑनलाइन उत्पीड़न, अनुच्छेद 15 के समकालीन अनुप्रयोग की आवश्यकता को दर्शाती हैं। किम्बर्ले क्रेंशॉ और बेल हुक्स के इंटरसेक्शनल जस्टिस ढांचे पर आधारित यह विश्लेषण सामाजिक विज्ञान और संवैधानिक कानून में योगदान देता है। निम्नलिखित खंड इन आयामों की गहराई से जाँच करते हैं।

अंबेडकर का संवैधानिक दृष्टिकोण और लैंगिक समानता

डॉ. भीमराव अंबेडकर ने लैंगिक समानता को सामाजिक सुधार का मूल आधार माना, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 की नींव बना। उनकी रचनाएँ और संवैधानिक योगदान इस दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हैं। जाति का विनाश (1936) में अंबेडकर ने जाति और लैंगिक उत्पीड़न को परस्पर जुड़ा हुआ सामाजिक अन्याय माना, जो सामाजिक संरचनाओं को चुनौती देता है। हू वर द शूद्र? (1946) में उन्होंने लैंगिक असमानता की ऐतिहासिक जड़ों का विश्लेषण किया, विशेष रूप से मनुस्मृति जैसे ग्रंथों की पितृसत्तात्मक संरचनाओं को उजागर किया। द बुद्ध एंड हिज धम्म (1957) में बौद्ध दर्शन के माध्यम से महिलाओं के समान अधिकारों की वकालत की, जो सामाजिक समावेशन पर बल देता है। उनके समाचार पत्र मूकनायक (1920) में शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता को लैंगिक समानता का आधार बताया गया, जिसमें उन्होंने कहा, "मैं समाज की उन्नति को महिलाओं की उन्नति से मापता हूँ"। संविधान सभा (1946–50) में अंबेडकर ने लैंगिक समानता को संवैधानिक ढांचे का अभिन्न अंग बताया। 7 दिसंबर 1948 को उन्होंने कहा, "लैंगिक समानता के बिना सामाजिक न्याय असंभव है"। हिंदू कोड बिल (1951) के माध्यम से उन्होंने महिलाओं के लिए संपत्ति और विवाह अधिकारों को मजबूत किया, जो अनुच्छेद 15 की भावना को पूरक बनाता है। यह दृष्टिकोण संयुक्त राष्ट्र चार्टर (1945) और सतत विकास लक्ष्य (SDG 5) जैसे वैश्विक मानवाधिकार सिद्धांतों से मेल खाता है, जो अंबेडकर की सोच को वैश्विक संदर्भ में प्रासंगिक बनाता है।

अनुच्छेद 15 : ऐतिहासिकता और कानूनी ढांचा

अनुच्छेद 15 भारतीय संविधान का एक आधारभूत प्रावधान है, जो लैंगिक और सामाजिक समानता को सुनिश्चित करता है। इसका मसौदा संविधान सभा (1947–49) में तैयार हुआ, जो औपनिवेशिक भारत में महिलाओं और दलितों के शोषण, जैसे सती प्रथा और बाल विवाह, के खिलाफ एक प्रतिक्रिया थी। अंबेडकर ने इसे वैश्विक मानवाधिकार सिद्धांतों, जैसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर (1945) और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स (1948), से प्रेरित बनाया, जो समानता और गरिमा को प्राथमिकता देते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में महिला संगठनों, जैसे ऑल इंडिया वूमंस कांफ्रेंस, की माँगों ने भी इस प्रावधान को आकार दिया। अनुच्छेद 15(1) लिंग, जाति, धर्म, जन्मस्थान आदि आधार पर भेदभाव को निषेध करता है, जबकि अनुच्छेद 15(3) महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधानों, जैसे आरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं, की अनुमति देता है। यह सकारात्मक भेदभाव को बढ़ावा देता है, जो अंबेडकर की सामाजिक सुधार की दृष्टि से मेल खाता है। अनुच्छेद 15 अन्य संवैधानिक प्रावधानों, जैसे अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता), अनुच्छेद 16 (सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर), और अनुच्छेद 39(घ) (आर्थिक समानता), के साथ मिलकर समग्र समानता का ढांचा बनाता है। इसने शिक्षा, रोजगार, और राजनीतिक भागीदारी में लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया, उदाहरण के लिए, पंचायती राज में 33% महिला आरक्षण (73वाँ संशोधन, 1992)। हालाँकि, सामाजिक रूढ़ियाँ, आर्थिक असमानता, और ग्रामीण–शहरी विभाजन इसके पूर्ण कार्यान्वयन में बाधाएँ हैं, जैसा कि विश्व आर्थिक मंच (2023) के 68.4% लैंगिक अंतर स्कोर से स्पष्ट है।

अनुच्छेद 15 का न्यायिक विश्लेषण : केस स्टडी

चंपकम दोरैरजन बनाम मद्रास राज्य (1951) –सुप्रीम कोर्ट का चंपकम दोरैरजन बनाम मद्रास राज्य (1951) फैसला अनुच्छेद 15 की प्रारंभिक व्याख्या को दर्शाता है। इस मामले में जाति आधारित आरक्षण को अनुच्छेद 15(1) के उल्लंघन के रूप में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने समानता के सिद्धांत को स्थापित किया, लेकिन विशेष

प्रावधानों की आवश्यकता को मान्यता दी, जिसने बाद में अनुच्छेद 15(4) के संशोधन का मार्ग प्रशस्त किया। यह फैसला अंबेडकर की समता की दृष्टि को लागू करता है, जो लिंग और जाति आधारित भेदभाव को असंवैधानिक मानती है। यह अनुच्छेद 15 को सामाजिक सुधार के एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में स्थापित करता है, जो संवैधानिक समानता के लिए आधार बनाता है।

यूसुफ अब्दुल अजीज बनाम बॉम्बे राज्य (1954)– यूसुफ अब्दुल अजीज बनाम बॉम्बे राज्य (1954) में सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति कानून में लैंगिक भेदभाव को संबोधित किया। कोर्ट ने अनुच्छेद 15(3) के तहत विशेष प्रावधानों को मान्यता दी, जो महिलाओं के लिए संरक्षण को वैध बनाता है। यह फैसला हिंदू कोड बिल (1951) की भावना से मेल खाता है, जिसमें अंबेडकर ने महिलाओं के लिए संपत्ति और विवाह अधिकारों को मजबूत किया था। इसने लैंगिक समानता के लिए सकारात्मक भेदभाव को संस्थागत रूप दिया, जो सामाजिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

विशाखा बनाम राजस्थान (1997)– विशाखा बनाम राजस्थान (1997) ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को अनुच्छेद 15(1) के उल्लंघन के रूप में स्थापित किया। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 15 और 21 (जीवन का अधिकार) के आधार पर विशाखा दिशानिर्देश जारी किए, जो यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम (2013) का आधार बने। यह फैसला सीईडीएडब्ल्यू (1979) और यूएन वीमेन (2023) के लैंगिक समानता सिद्धांतों से प्रेरित था। यह अंबेडकर की गरिमा और समता की दृष्टि को लागू करता है, जो कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को सामाजिक न्याय से जोड़ता है। इसने लैंगिक समानता की आधुनिक व्याख्या को मजबूत किया और सामाजिक धारणाओं को चुनौती दी।

अनुज गर्ग बनाम होटल एसोसिएशन (2008)– अनुज गर्ग बनाम होटल एसोसिएशन (2008) में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नियमों को, जो महिलाओं को बार में काम करने से रोकते थे, अनुच्छेद 15(1) के उल्लंघन के रूप में असंवैधानिक ठहराया। कोर्ट ने लैंगिक रूढ़ियों को खारिज किया, जो रोजगार में समानता को बाधित करती थीं। क्रेंशॉ (1989) के इंटरसेक्शनल जस्टिस ढांचे से, यह फैसला दलित और निम्न–वर्ग महिलाओं के लिए रोजगार अवसरों को बढ़ाने में सहायक है, जो जाति और लिंग के दोहरे भेदभाव का शिकार हैं। यह फैसला अनुच्छेद 15 की प्रगतिशील व्याख्या को दर्शाता है, जो सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित करता है।

भारतीय युवा वकील संघ बनाम केरल राज्य (2018)– भारतीय युवा वकील संघ बनाम केरल राज्य (2018) में सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में 10–50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को अनुच्छेद 15(1) और 25 (धार्मिक स्वतंत्रता) के उल्लंघन के रूप में असंवैधानिक ठहराया। कोर्ट ने महिलाओं की गरिमा को प्राथमिकता दी, यह कहते हुए कि धार्मिक प्रथाएँ संवैधानिक समानता को सीमित नहीं कर सकतीं। यह फैसला अंबेडकर की सामाजिक सुधार की दृष्टि को लागू करता है, जो धार्मिक रूढ़ियों को चुनौती देती है। हालाँकि, सामाजिक विरोध ने इसके कार्यान्वयन को जटिल बनाया, जो सामाजिक रूढ़ियों की गहरी जड़ों को दर्शाता है। यह फैसला धार्मिक प्रथाओं में लैंगिक समानता को प्रेरित करता है, लेकिन सामाजिक चेतना में परिवर्तन की आवश्यकता को उजागर करता है।

जाति–लिंग अंतर्संबंध और बहुआयामी न्याय

अंबेडकर की दृष्टि और अनुच्छेद 15 जाति–लिंग अंतर्संबंध को संबोधित करने में महत्वपूर्ण हैं। क्रेंशॉ (1989) के इंटरसेक्शनल जस्टिस ढांचे के अनुसार, जाति, लिंग, और वर्ग का अंतर्संबंध बहुआयामी भेदभाव को जन्म देता है, जो दलित और निम्न–वर्ग महिलाओं की स्थिति में स्पष्ट है। जाति का विनाश (1936) में अंबेडकर ने जाति और लैंगिक उत्पीड़न को एकसमान सामाजिक अन्याय माना, जो सामाजिक सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करता है। एनसीआरबी (2022) के आँकड़े दर्शाते हैं कि दलित और आदिवासी महिलाएँ हिंसा का प्रमुख शिकार हैं, जो सामाजिक–आर्थिक बाधाओं को उजागर करता है। बेल हुक्स (1984) ने सामाजिक संरचनाओं में लैंगिक और वर्गीय असमानताओं को विश्लेषित किया, जो इस अंतर्संबंध को और स्पष्ट करता है। अनुच्छेद 15(3) के विशेष प्रावधान, जैसे शिक्षा और रोजगार में आरक्षण, इस भेदभाव को कम करने में सहायक हैं। नीतिगत सुझावों में दलित महिलाओं के लिए शिक्षा में 30% आरक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में हिंसा–विरोधी सामुदायिक नीतियाँ शामिल हैं। अंबेडकर की दृष्टि क्रेंशॉ और हुक्स के ढांचे से मेल खाती है, जो बहुआयामी न्याय को सामाजिक परिवर्तन का आधार बनाती है। हालाँकि, सामाजिक रूढ़ियाँ और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी इसके कार्यान्वयन में बाधाएँ हैं।

वैश्विक तुलना : अनुच्छेद 15 और अंतरराष्ट्रीय ढांचे

अनुच्छेद 15 और अंबेडकर का दृष्टिकोण वैश्विक लैंगिक समानता के संदर्भ में प्रासंगिक हैं। दक्षिण अफ्रीका का संविधान (धारा 9, 1996) लिंग, जाति, और यौन अभिविन्यास आधारित भेदभाव को निषेध करता है, जो अनुच्छेद 15 से समानता रखता है। मिनिस्टर ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बनाम एफ (2009) में दक्षिण अफ्रीकी कोर्ट ने कार्यस्थल पर लैंगिक हिंसा को धारा 9 का उल्लंघन माना, जो विशाखा (1997) से मेल खाता है। यूरोपीय संघ का जेंडर इक्वलिटी डिरेक्टिव (2006) रोजगार और सेवाओं में समानता को बढ़ावा देता है, और टेस्ट–अशात्स बनाम कॉन्सेइय दे मिनीस्त्र (2011) ने बीमा में लैंगिक भेदभाव को असंवैधानिक ठहराया, जो अनुज गर्ग (2008) से समानता रखता है। कनाडा का आर बनाम मॉर्गन टेलर (1988) गर्भपात के अधिकार को लैंगिक स्वायत्तता से जोड़ता है, जो अनुच्छेद 15 की भावना को समर्थन देता है। यूएन वीमेन (2023) और सतत विकास लक्ष्य (SDG 5, 2015) अनुच्छेद 15 को लैंगिक समानता का वैश्विक मॉडल मानते हैं। सेन (1999) ने लैंगिक समानता को विकास का आधार माना, जबकि नुसबाम

(2000) की क्षमता दृष्टिकोण अनुच्छेद 15(3) के सकारात्मक भेदभाव को सैद्धांतिक आधार देता है। अंबेडकर की दृष्टि इन वैश्विक ढांचों से संनाद रखती है, जो सामाजिक और लैंगिक समानता को एकीकृत करती है।

डिजिटल युग में लैंगिक समानता की चुनौतियाँ

डिजिटल युग ने लैंगिक समानता के लिए नई चुनौतियाँ प्रस्तुत की हैं, जो अनुच्छेद 15 और अंबेडकर की दृष्टि की प्रासंगिकता को रेखांकित करती हैं। विश्व आर्थिक मंच (2023) के अनुसार, ऑनलाइन उत्पीड़न, जैसे ट्रोलिंग और साइबरबुलिंग, लैंगिक असमानता को बढ़ाता है, विशेष रूप से महिलाओं और लैंगिक अल्पसंख्यकों के लिए। डिजिटल संसाधनों तक असमान पहुँच, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, महिलाओं की डिजिटल साक्षरता को सीमित करती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) में लैंगिक पक्षपात, जैसे भर्ती एल्गोरिदम में भेदभाव, समानता को चुनौती देता है, जो मैकिनन (1987) के कानूनी ढांचे की आवश्यकता को दर्शाता है। अंबेडकर की समता की दृष्टि डिजिटल युग में नीतिगत सुधारों, जैसे साइबर अपराध कानून और डिजिटल समावेशन योजनाओं, का मार्गदर्शन कर सकती है। अनुच्छेद 15(3) के तहत डिजिटल साक्षरता और साइबर सुरक्षा के लिए विशेष योजनाएँ लागू की जा सकती हैं। यह दृष्टिकोण SDG 5 के डिजिटल समावेशन लक्ष्यों से मेल खाता है, जो लैंगिक समानता को तकनीकी प्रगति से जोड़ता है। हालाँकि, डिजिटल युग की चुनौतियों पर शोध सीमित है, जो अनुच्छेद 15 के समकालीन अनुप्रयोग पर और अध्ययन की आवश्यकता को दर्शाता है।

सैद्धांतिक ढांचा और नीतिगत निहितार्थ

अनुच्छेद 15 और अंबेडकर की दृष्टि को क्रेंशॉ (1989) का इंटरसेक्शनल जस्टिस ढांचा सैद्धांतिक आधार प्रदान करता है, जो लिंग, जाति, और वर्ग के अंतर्संबंध को समझने में सहायक है। बेल हुक्स (1984) ने सामाजिक संरचनाओं में लैंगिक और वर्गीय असमानताओं को विश्लेषित किया, जो दलित और आदिवासी2ण महिलाओं की स्थिति को रेखांकित करता है। सेन (1999) ने लैंगिक समानता को विकास का आधार माना, जो अनुच्छेद 15 की नीतिगत प्रासंगिकता को समर्थन देता है। नुसबाम (2000) की क्षमता दृष्टिकोण अनुच्छेद 15(3) के सकारात्मक भेदभाव को मानवीय क्षमताओं से जोड़ता है, जो सामाजिक न्याय को सैद्धांतिक रूप से मजबूत करता है। नीतिगत निहितार्थों में डिजिटल साक्षरता के लिए विशेष योजनाएँ, कार्यस्थल और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लैंगिक हिंसा विरोधी नीतियाँ, और दलित व आदिवासी महिलाओं के लिए शिक्षा और रोजगार में आरक्षण शामिल हैं। ये सुझाव अंबेडकर की सामाजिक सुधार की दृष्टि और वैश्विक लैंगिक समानता के लक्ष्यों, जैसे SDG 5, से प्रेरित हैं। अनुच्छेद 15 का प्रभाव बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पंचायती राज जैसे कार्यक्रमों में दिखता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर 33% महिला आरक्षण जैसे प्रस्ताव अभी लंबित हैं। यह सामाजिक चेतना और नीतिगत सुधारों की आवश्यकता को दर्शाता है।

निष्कर्ष

यह शोध पत्र डॉ. भीमराव अंबेडकर के संवैधानिक दृष्टिकोण और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के माध्यम से लैंगिक समानता की गहन पड़ताल करता है, जो भारतीय समाज और वैश्विक न्याय के लिए एक परिवर्तनकारी कदम सिद्ध हुआ है। अंबेडकर की सामाजिक सुधार की दृष्टि, जो उनकी रचनाओं (जाति का विनाश, मूकनायक) और संविधान सभा की बहसों (1948) में स्पष्ट है, ने अनुच्छेद 15 को लैंगिक और सामाजिक समानता का आधार बनाया। अनुच्छेद 15, विशेष रूप से खंड 15(1) और 15(3), लिंग आधारित भेदभाव को निषेध करता है और सकारात्मक भेदभाव के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, यह प्रावधान औपनिवेशिक शोषण और स्वतंत्रता आंदोलन की माँगों से प्रेरित था, जबकि कानूनी दृष्टिकोण से, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, जैसे विशाखा (1997), अनुज गर्ग (2008), और सबरीमाला (2018), इसकी प्रगतिशील व्याख्या को दर्शाते हैं। किम्बर्ले क्रेंशॉ (1989) के इंटरसेक्शनल जस्टिस ढांचे के साथ संनाद रखते हुए, अनुच्छेद 15 जाति–लिंग अंतर्संबंध को संबोधित करता है, जो दलित और आदिवासी महिलाओं के बहुआयामी भेदभाव को उजागर करता है। वैश्विक स्तर पर, यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान (धारा 9), यूरोपीय संघ के जेंडर इक्वलिटी डिरेक्टिव (2006), और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (SDG 5) से मेल खाता है। डिजिटल युग में ऑनलाइन उत्पीड़न और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में पक्षपात जैसी चुनौतियाँ अनुच्छेद 15 के समकालीन अनुप्रयोग को रेखांकित करती हैं। नीतिगत सुझाव, जैसे डिजिटल साक्षरता योजनाएँ, दलित महिलाओं के लिए 30ः शैक्षिक आरक्षण, और हिंसा–विरोधी सामुदायिक नीतियाँ, सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देती हैं। साहित्य में अनुच्छेद 15 और डिजिटल युग पर सीमित शोध भविष्य के अध्ययनों की आवश्यकता को दर्शाता है। यह शोध सामाजिक विज्ञान, महिला अध्ययन, और संवैधानिक कानून में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जो अंबेडकर की दृष्टि को वैश्विक लैंगिक समानता के ढांचे से जोड़कर सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित करता है।

REFERENCES

यास्मीन, मुनव्वर. (2018). जेंडर एंड सोशल जस्टिस इन इंडियाः अ स्टडी ऑफ अंबेडकर'स कॉन्ट्रीब्यूशन्स. *इंडियन जर्नल ऑफ सोशल स्टडीज,* 5(2), 78–89.

यूएन वीमेन. (2023). जेंडर इक्वलिटी एंड विमेन्स एम्पावरमेंट. https://www.unwomen.org/en

यूसुफ अब्दुल अजीज बनाम बॉम्बे राज्य, AIR 1954 SC 321 (भारत का सर्वोच्च न्यायालय, 1954).

यूनाइटेड नेशंस. (1945). चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. https://www.un.org/en/charter-united-nations/

बोवुआर, सिमोन द. (1949). *द सेकेंड सेक्स.* अल्फ्रेड ए. क्नॉप्फ

बेल हुक्स. (1984). *फेमिनिस्ट थियरीः फ्रॉम मार्जिन टू सेंटर.* साउथ एंड प्रेस.

बटलर, जूडिथ. (1990). *जेंडर ट्रबलः फेमिनिज्म एंड द सबवर्शन ऑफ आइडेंटिटी.* राउटलैज.

मैकिनन, कैथरीन ए. (1987). *फेमिनिज्म अनमॉडिफाइडः डिस्कोर्सेस ऑन लाइफ एंड लॉ.* हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

मिनिस्टर ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बनाम एफ, (2009) **ZACC** 22 (दक्षिण अफ्रीका का संवैधानिक न्यायालय).

विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, **AIR 1997 SC** 3011 (भारत का सर्वोच्च न्यायालय, 1997).

भारतीय युवा वकील संघ बनाम केरल राज्य, **WP** (सिविल) संख्या 373, 2006 (भारत का सर्वोच्च न्यायालय, 2018).

रॉल्स, जॉन. (1971). *ए थियरी ऑफ जस्टिस.* हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

सेन, अमर्त्य. (1999). *डेवलपमेंट ऐज फ्रीडम.* ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

सेन, अमर्त्य. (2009). *द आइडिया ऑफ जस्टिस.* हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

वुल्स्टनक्राफ्ट, मैरी. (1792). *ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वूमन.* पेंगुइन क्लासिक्स.

क्रेंशॉ, किम्बर्ले. (1989). *डीमार्जिनलाइजिंग द इंटरसेक्शन ऑफ रेस एंड सेक्सः अ ब्लैक फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ एंटी–डिस्क्रिमिनेशन डॉक्ट्रिन, फेमिनिस्ट थियरी एंड एंटी–रैसिस्ट पॉलिटिक्स.* यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो लीगल फोरम, 1989(1), 139–167.

वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम. (2023). ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023. https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2023/

वर्ल्ड बैंक. (2023). जेंडर स्ट्रैटेजी 2024–2030. https://www.worldbank.org/en/topic/gender

चंपकम दोरैरजन बनाम मद्रास राज्य, **AIR 1951 SC** 226 (भारत का सर्वोच्च न्यायालय, 1951).

तेलतुंबड़े, आनंद. (2018). *द पर्सिसटेंस ऑफ कास्टः द खैरलांजी मर्डर्स एंड इंडिया'स हिडन अपार्थाइड.* जेड बुक्स.

नुसबाउम, मार्था सी. (2000). *विमेन एंड ह्यूमन डेवलपमेंटः द केपेबिलिटीज अप्रोच.* कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस.

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो. (2022). *क्राइम इन इंडिया 2022.* गृह मंत्रालय, भारत सरकार.

अंबेडकर, बी. आर. (1920). *मूक नायक.* (मूल कार्य मराठी में प्रकाशित). (मूल कार्य)

अंबेडकर, बी. आर. (1936). *जाति का विनाश.* स्वप्रकाशित

अंबेडकर, बी. आर. (1946). *हू वर द शूद्र?.* ठैकर एंड कंपनी.

अंबेडकर, बी. आर. (1948). *संविधान सभा बहस,* खंड 7. भारत सरकार.

अंबेडकर, बी. आर. (1957). *द बुद्ध एंड हिज धम्म.* सिद्धार्थ पब्लिकेशन्स.

आमवेट, जी. (2004). *अंबेडकरः टुवर्ड्स एन इनलाइटेंड इंडिया.* पेंगुइन बुक्स.

आर बनाम मॉर्गनटेलर, (1988) 1 **SCR** 30 (कनाडा का सर्वोच्च न्यायालय).

टेस्ट–अशा एएसबीएल बनाम कॉन्सेई दे मिनिस्त्रे, केस सी–236/09 (यूरोपीय संघ न्यायालय, 2011).

गवांकर, जे. (2015). *डॉ. अंबेडकरः ए सोशल रिफॉर्मर.* हिमालय पब्लिशिंग हाउस.

फ्रेजर, नैंसी. (1997). *जस्टिस इंटरप्टसः क्रिटिकल रिफ्लेक्शन्स ऑन द "पोस्टसोशलिस्ट" कंडीशन.* राउटलैज.